



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0 व0 से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स ग्लैडिएटा इंजीनियरिंग मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक: सोनु कुमार, होल्डिंग नंबर 63 ए/अल 167 हाउजिंग कॉलोनी अनुग्रहपुरी, पुलिस स्टेशन-रामपुर, जिला-गया (गया, ब्लॉक-42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़-11/12/13), ग्राम-बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवादा, अंचल-शेरघाटी, ब्लॉक-42, जिला-गया) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O- 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स ग्लैडिएटा इंजीनियरिंग मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक: सोनु कुमार, होल्डिंग नंबर 63 ए/अल 167 हाउजिंग कॉलोनी अनुग्रहपुरी, पुलिस स्टेशन-रामपुर, जिला-गया (गया, ब्लॉक-42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़-11/12/13), ग्राम-बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवादा, अंचल-शेरघाटी, ब्लॉक-42, जिला-गया) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 30.08.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मेसर्स ग्लैडिएटा इंजीनियरिंग मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक: सोनु कुमार, होल्डिंग नंबर 63 ए/अल 167 हाउजिंग कॉलोनी अनुग्रहपुरी, पुलिस स्टेशन-रामपुर, जिला-गया (गया, ब्लॉक-42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़-11/12/13), ग्राम-बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवादा, अंचल-शेरघाटी, ब्लॉक-42, जिला-गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

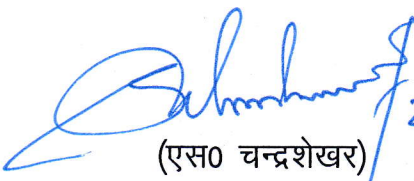
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1873.

पटना, दिनांक :- 21.9.23

प्रतिलिपि:-श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांक: 30.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 30.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।


(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स ग्लैडिएटा इंजीनियरिंग मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक: सोनु कुमार, होल्डिंग नंबर 63 ए/अल 167 हाउजिंग कॉलोनी अनुग्रहपुरी, पुलिस स्टेशन-रामपुर, जिला-गया द्वारा गया, ब्लॉक-42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़-11/12/13), ग्राम-बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवादा, अंचल-शेरघाटी, ब्लॉक-42, जिला-गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 30.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2370/2023, dated 25.04.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दिनांक 30.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 01.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया, ब्लॉक-42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़-11/12/13), ग्राम-बार, जोघापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवादा, अंचल- शेरघाटी, ब्लॉक-42, जिला-गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री साकेत कुमार, पता: बी.टी बीधा, शेरघाटी, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन के दौरान होने वाले पर्यावरणीय क्षति के रोक-थाम एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:- बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:- लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का

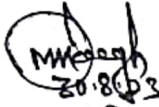
		संचालन नही करने का निदेश दिया गया साथ ही तेज ध्वनि वाला हॉर्न का उपयोग नही करेंगे। इसप्रकार श्री साकेत कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री पवन कुमार, पता: शेरघाटी, जिला: गया।	इनके द्वारा वृक्षारोपण एवं बालू परिवहन के दौरान मार्ग में पानी छिड़काव; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे खनन अवधि में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो। इसप्रकार श्री पवन कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री दीपक प्रसाद, पता: बी. टी. बीघा, शेरघाटी, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम, सड़क टूटने एवं खनन सीमा; से संबंधित प्रश्न पूछा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा एवं बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मत लेसी के द्वारा कराया जायेगा तथा खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आमजन लेसी के विरुद्ध जिला प्रशासन स्तर पर शिकायत कर सकते हैं। इसप्रकार श्री दीपक प्रसाद को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

4.	श्री संजय कुमार, पता: कठार, शेरघाटी, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन के दौरान रोजगार एवं बालू परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। साथ ही बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा। इसप्रकार श्री संजय कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री विवेक कुमार, पता: कठार, शेरघाटी, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम एवं रोजगार; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा एवं बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री विवेक कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटों पर बालू की खुदाई 2 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं

पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

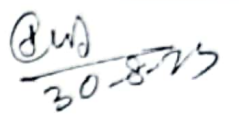
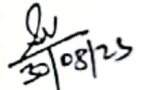
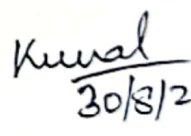
जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,
गया


अपर समाहर्ता,
गया

उपरिथति सूची

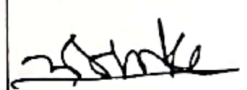
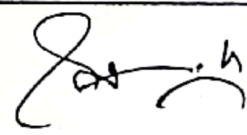
मेसर्स ग्लैडिएटा इंजीनियरिंग मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक: सोनु कुमार, होलिंग नंबर 63 ए/अल 167 हाउजिंग कॉलोनी अनुग्रहपुरी, पुलिस स्टेशन-रामपुर, जिला-गया द्वारा गया, ब्लॉक-42, बुढ़ नदी बालू घाट (गया बुढ़-11/12/13), ग्राम-बार, जोधापुर, कठार, मझनपुर, नकनुपा, महमदपुर, शेरघाटी, अफजलपुर, बरावन, बेल डीह, कान्हपी और नवारा, अंचल-शेरघाटी, ब्लॉक-42, जिला-गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 30.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय: शेरघाटी, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	उज्ज्वल कुमार	आर 6 नवम्बर 2011	 30-8-23
2.	Mansaram K. Singh	R.O. R-6 P-6 Bda. Jygh	 31/8/23
3.	Sudha Twar Co, Shergati	Circle Office Sherghati	 30/8/23
4.	Shubham Verma Ro, Shergati	Circle Office, Sherghati	 30/8/23
5.	Kunal Kashyap	CRIPL	 30/8/23
6.	Ravindra Kumar Choudhary 9923211541	Amas Center	
7.	Vicky Kumar 9472252142	Saamod bigha Kathar	Vicky Kumar
8.	Golden Singh 8340425075	Saamod bigha	Golden Singh

9.	Sashank Kishan 9097732597	Kathar-Jada Shomro 84910	S.K.S.H. 29 21.
10.	धर्मेन्द्र कुमार सिंह 9546507064	कठार (समोद विगहा)	84910
11.	सुमित कुमार 9934797365	कठार (समोद)	सुमित कुमार
12.	पुनोश सिंह 9508548631	कठार (समोद विगहा)	पुनोश सिंह
13.	90062729629 मेघ न कुमार	चैनपुर, शेरघाटी	मेघ न कुमार
14.	Ganesh Kumar Singh 9199192690	गमोद आठरा शेरघाटी	Ganesh Kumar Singh
15.	Shamendra Kumar 8700833937	Shamod Bigha Shenghathi	Shamendra Kumar
16.	BASANT SINGH 9431278124	B.T. Bigha Shenghathi Gaye	30/08/2023
17.	Manoj Prakash Singh 9931537477	B.T. Bigha Shenghathi	Manoj
18.	Dip Kumar 6206830062	B.T. Bigha Shenghathi	Dip
19.	श्यामाजी नरसिंह 9955946452	जंतापुर	Shyama

20.	Saket Kumar 9771493285	B.T. Bigha Shenghat	
21.	Samad Bigha 9162562840	Samad bigha.	Samad Bigha
22.	Pankaj Kumar 8851824421	Pankaj Kumar	Pankaj Kumar
23.	Kamlesh Kumar 9661736012	Kamlesh Kumar	Kamlesh Kumar
24.	Dr. Pankaj Kumar 9934680183	B.T. Bigha	Dr. Pankaj Kumar
25.	Ramkumar Kumar 8757294199	Boroma.	Ramkumar Kumar
26.	Raj Kumar 7970543599	Raj Kumar	Raj Kumar
27.	Tinku Singh 9162807332	Tinku Singh	Tinku Singh
28.	Vijay Kumar 9504483065	Samoddbigha	Vijay Kumar
29.	Mahesh Kumar 9523013922	Vinod Kumar	Mahesh Kumar
30.	Chaitan Kumar 9801664661	Chaitan Kumar	Chaitan Kumar

31.	Jeetendra Pt. Singh 9931850152	Village: B. T. Bigha PS- Sherghat Dist- Gaya	Jeetendra Pt. Singh 42.
32.	8084316213 अनुराधा	Village - Kapatla Dist Gaya	अनुराधा 43.
33.	Ravindra Kumar 9973211541	Anand Prasad	RK Kumar
34.	Raju Yadav 9304436315	नरुपुपा	RK
35.	अनुराधा सिंह 9431066501	महेशपुर	अनुराधा
36.	रंजन कुमार 8709152051	रंजन	Ranjan Kumar
37.	अजय कुमार 7799078396	नरुपुपा	अजय
38.	पद्मन कुमार 9122663437	रंजन	पद्मन कुमार
39.	Vikash Kumar 7033663578	नया बजार	Vikash Kumar
40.	दिपक कुमार 7779999097	नया बजार	Dipak.
41.	शिवकान्त भट्टा 7979880533	नया बजार	शिवकान्त भट्टा

42.	Sanjay Kumar	Samodh bigha.	
43.	Pawan Kumar	Shergathi	
44.	Amojit Kumar 8507177242	Naramad Puz	Amojit Kumar
45.	PIYUSH SINGH 7970943116	मेरठ ५२	PIYUSH SINGH
46.	Suresh Kumar 7488242637	MATHA MATHOPUR.	
47.	सुरेश कुमार ७१५९ 6200926273	मेरठ ५२	सुरेश कुमार
48.	अशोक कुमार 8860654461	रामोदवाडा	
49.	राजीव रंजन 9304529324.	Shergathi.	
50.	अनिल राठीर 9113455781	Shergathi.	Anil Rathore

